

न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्र०क्र० 2013 अपील नाल

1. रतनलाल पुत्र श्री सुखुआ
जाति-जाटव, आयु-75 वर्ष,
निवासी-चेनपुरा कटघर जिला-मुरैना
म०प्र०

2. अरजाल पुत्र सुखुआ जाति-जाटव
आयु-62 वर्ष, निवासी-चेनपुरा कटघर
जिला-सबलगढ़, जिला-मुरैना म०प्र०
.....अपीलाण्ट्स

विरुद्ध

1. दीप्ती पुत्र मंगला आयु-75 वर्ष
जाति-जाटव, निवासी-चेनपुरा कटघर
जिला-सबलगढ़, जिला-मुरैना, म०प्र०

2. तुहसी पुत्र मंगला आयु-70 वर्ष
जाति-जाटव, निवासी-चेनपुरा कटघर
जिला-सबलगढ़ जिला-मुरैना, म०प्र०

3. गणेशी पुत्र मंगला जाति-जाटव,
निवासी-चेनपुरा कटघर, तड० सबलगढ़,
जिला-मुरैना, म०प्र०

4. छोत्री पुत्र मंगला आयु-60 वर्ष
जाति-जाटव, निवासी-चेनपुरा कटघर
जिला-सबलगढ़ जिला-मुरैना, म०प्र०

.....रेस्पोजेण्डेण्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 24 (2) मध्यप्रदेश राजस्व अधिनियम
1959 आदेश विरुद्ध दिनांक 07.03.2013 च न्यायालय द्वारा
पी एस. सलुजा अपर उच्च न्यायालय संभाज मुरैना मध्यप्रदेश

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक अपील 1494-एक/2013

जिला मुरैना

स्थान तथा दिनांक

कार्यवाही तथा आदेश

पक्षकारों एवं अभिभाषकों
आदि के हस्ताक्षर

09-07-2014

आवेदक अधिवक्ता सूचना उपरांत अनुपस्थित : आवेदक को भेजा गया नोटिस तामीली उपरांत वापिस प्राप्त परन्तु उनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं । आवेदक पक्ष को तीन बार पुकार लगवाई गई लेकिन उनकी ओर से कोई उपस्थित नहीं हुआ । बाद पुकार प्रकरण आवेदक पक्ष की अनुपस्थिति में अदम पैरवी में खारिज किया जाता है :

प्रशासकीय सदस्य